न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 19/2022 **दायर दिनांकः 30/06/2022**

उनवान

1. मूली बाई आयु 81 वर्ष पुत्री छोटूलाल पत्नि रामगोपाल जाति कोली निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी खवासपुरा (नयापुरा) तहसील अन्ता जिला बारां राज0।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 12/11/2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थिया उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल चरडाना पटवार हल्का चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 179 का ख0नं0 94 का रकबा 0.65 है0 आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों ने प्रार्थिया का नाम मूली बाई के स्थान पर धूली गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया का सही नाम मूली बाई है। इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम दर्ज किया जावे। प्रार्थिया के दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थिया का सही नाम मूल बाई दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम धूली के स्थान पर सही नाम मूली बाई दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में

प्रार्थिया का सही नाम मूली बाई दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थिया को सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पडेगा जिससे प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम मूली बाई दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम मूली बाई पुत्री छोटूलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw 1 मूली बाई पुत्री छोटूलाल जाति कोली निवासी चरडाना तहसील अटरू के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने शपथ गवाह में बताया कि मेरे ग्राम चरडाना तहसील अटरू में खाता संख्या 179 का ख0नं0 94 का रकबा 0.65 है0 आराजी अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। मेरा राजस्व जमाबन्दी में धूली नाम गलत दर्ज है जबकि मेरा सही नाम मूलीबाई हैं। मेरे दस्तावेजों में सही नाम मूलीबाई है। मेरा सभी दस्तावेजों के आधार पर धूली के स्थान पर सही नाम मूली बाई किया जावे।

4. अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम दस्तावेजों के आधार पर धूली के स्थान पर सही नाम मूली बाई दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थिया का नाम धूली के स्थान पर सही नाम मूली बाई दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति पेश नहीं की है।

5. अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा की गई बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम चरडाना की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 179 के ख0नं0 94 का रकबा 0.65 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम शामलाती खाते में धूली पुत्री छोटू दर्ज है। प्रार्थिया का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड में मूली बाई पत्नि रामगोपाल, भारत

निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में मुलीबाई पत्नि रामगोपाल, जन आधार कार्ड में मूली बाई, भामाशाह कार्ड में मूली बाई, यूको बैंक की पासबुक में मुली बाई अंकित है। ग्राम पंचायत चरडाना के प्रमाण पत्र अनुसार मुलीबाई पुत्री छोटूलाल जाति कोली निवासी चरडाना का राजस्व रिकार्ड में धुली पुत्री छोटू दर्ज है। इसका सही नाम मुली बाई पुत्री छोटूलाल है। अतः उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थिया का सही नाम मूलीबाई है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम चरडाना की खाता संख्या 179 के ख0नं0 94 का रकबा 0.65 है0 आराजी में सहखातेदार धूली पुत्री छोटू के स्थान पर मूली बाई उर्फ धूली पुत्री छोटूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां